सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 29, सोमवार, *शाके* 1947- मई 19, 2025 *Vaisakha 29, Monday, Saka 1947- May 19, 2025*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 09, 2024

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(ब.घों.)डीएलबी/24/3876 :-विभागीय अधिसूचना क्रंमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2428 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा निर्धारित मानकों में शिथिलन देते हुए, राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत नारायणपुर जिला कोटपूतली- बहरोड क्षेत्र को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	कोटपूतली - बहरोड	नारायणपुर	ग्रांम पंचायत नारायणपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र राजस्व ग्राम नारायणपुर, मोरडी की ढाणी, एवं ग्रांम पंचायत ज्ञानपुरा की सीमा क्षेत्र के राजस्व ग्रांम ज्ञानपुरा खरकडी खुर्द, बासड़ी, बास गोवर्धन को सम्मिलित करते हुए (जनंसख्या - 25,818) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2024-25 के अन्तर्गत ग्रांम पंचायत नारायणपुर जिला कोटपूतली- बहरोड के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र एवं राजस्व ग्राम नारायणपुर, मोरडी की ढाणी, एवं ग्रांम पंचायत ज्ञानपुरा की सीमा क्षेत्र के राजस्व ग्रांम ज्ञानपुरा खरकडी खुर्द, बासड़ी, बास गोवर्धन को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी। विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नारायणपुर जिला कोटपूतली- बहरोड के निर्वाचित संरपच को अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा के निर्वाचित सरपंच को उपाध्यक्ष एवं वार्ड पंचों को नवगठित नवगठित नगरपालिका में वार्ड सदस्य समझा जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुमार पाल गौतम ,
निदेशक एवं विषिष्ठ सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।